

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

अधिसूचना

संख्या सं०-4/आ०-17/2021/...../2513/ राँची, दिनांक-02-11-2022

श्री अरविन्द कुमार (राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2), तदेन जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह, जिन्हें विभागीय अधिसूचना सं०- 2103 दिनांक- 20.10.2021 के द्वारा निलंबित किया गया था, को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

2. श्री अरविन्द कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

3. विभागीय कार्यवाही हेतु अलग से विभागीय संकल्प निर्गत की जाएगी।

4. विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर श्री अरविन्द कुमार के निलंबन अवधि के संबंध में निर्णय संसूचित की जाएगी।

11.11.22

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


02.11.22


(कुमुद सहाय)

सरकार के संयुक्त सचिव।

क्रमांक-2513/...../

राँची, दिनांक-02-11-2022

प्रतिलिपि- विभागीय नोडल पदाधिकारी ई० गजट को सरकारी गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/ विभागीय नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



02.11.22

सरकार के संयुक्त सचिव।

क्रमांक-2513/...../

राँची, दिनांक-02-11-2022

प्रतिलिपि- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची/ उप सचिव, योजना-सह-वित्त (वि०दा०नि०को०) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


02.11.22


सरकार के संयुक्त सचिव।

क०पृ०उ०

ज्ञापक- 2513

राँची, दिनांक- 02-11-2022

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गिरिडीह/ कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


02.11.22

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक- 2513

राँची, दिनांक- 02-11-2022

प्रतिलिपि- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ विभागीय सचिव के आप्त सचिव/ निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची/ निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची/ निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची/ उपायुक्त, गिरिडीह/ विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-1/ क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग/ क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह/ श्री अरविन्द कुमार (राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2), तदेन जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह (मुख्यालय- क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा का कार्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


02.11.22

सरकार के संयुक्त सचिव।